UPLK010009812025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 147 / 2025

सरकार **बनाम** विवेक

अ0सं0 306 / 2024
धारा–137(2),87 बी0एन0एस0
धारा 3(2)V एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–बिजनौर, लखनऊ।

10–10–2025

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्त विवेक जेरे जमानत न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 137(2),87 बी0एन0एस0 धारा 3(2)V एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 20–12–2025 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010009812025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 147 / 2025

सरकार **बनाम** विवेक

अ0सं0 306 / 2024
धारा–137(2),87 बी0एन0एस0
धारा 3(2)V एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–बिजनौर, लखनऊ।

आरोप

मैं, विवेकानन्द शरण त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्त विवेक को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ

प्रथमः यह कि दिनांक 04.11.2024 समय रात में लगभग 01.00 बजे, थाना बिजनौर जिला लखनऊ सीमान्तर्गत अलीनगर से आप अभियुक्त विवेक द्वारा वादिनी मुकदमा मंजू की नाबालिग पुत्री अनामिका को उसके विधिपूर्ण संरक्षकता से संरक्षक की सहमति के बिना बहला–फुसलाकर व्यपहरण किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो बी0एन0एस0 की धारा– 137(2) के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः–यह कि उपरोक्त दिनॉक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त विवेक द्वारा वादिनी मुकदमा मंजू की नाबालिग पुत्री अनामिका से विवाह करने के लिए विवश करने के आशय से व्यपहृत किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो बी0एन0एस0 की धारा–87 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः–यह कि उक्त दिनांक, तिथि व समय पर आप अभियुक्त विवेक द्वारा वादिनी मुकदमा मंजू की नाबालिग पुत्री अनामिका (जो अनुसूचित जाति की सदस्या है) से ऐसे ज्ञान व परिस्थितियों में उसके विधिपूर्ण संरकक्षता से संरक्षक की सहमति के बिना अयुक्त संभोग करने के आशय से व्यपहृत किया, जो भारतीय दण्ड संहित के अधीन दस वर्ष की अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध है। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम धारा–3(2)(V) के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 10–10–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6127

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 10–10–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6127